संख्याः 246 / XXXVI(I) / 09–7–चार / 05

प्रेषक,

आर0 डी0 पालीवाल,
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड ।

न्याय अनुभाग –1 देहरादून : दिनांक 27 अगस्त, 2009

विषयः अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष शासन द्वारा आबद्ध किये गये शासकीय अधिवक्ताओं की फीस निर्धारण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 135 / XXXVI(I) / 2006 दिनांक 26 सितम्बर, 2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड के जिलों में स्थित दीवानी / राजस्व / फौजदारी के न्यायालयों में शासन का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु आबद्ध अधिवक्ताओं को दिनांक 01 सितम्बर, 2009 से, पूर्व निर्धारित फीस दरों में वृद्धि करते हुए निम्न विवरणानुसार फीस का भुगतान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

जिला न्यायालय दीवानी / राजस्व / फौजदारी

दिनांक 1.9.2009 से प्रभावी दरें

रिटेनर फीस

(1) जिला शासकीय अधिवक्ता	रु0 5000 / – प्रतिमाह
(2) अपर जिला शासकीय अधिवक्ता	रु0 4000 / – प्रतिमाह
(3) सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता	रु0 3500 / – प्रतिमाह
(4) उप जिला शासकीय अधिवक्ता	रु0 3000 / – प्रतिमाह

ड्राफ्टिंग फीस

(1) वाद / अपील / मेमो / प्रार्थना–पत्र पुनरीक्षण, प्रार्थना–पत्र (रिवीजन)	रु0 500 / – प्रतिकेस
(2) लिखित विवरण / पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र (रिव्यू)	रु0 150 / – प्रतिकेस

उपर्युक्त प्रस्तर–1 में उल्लिखित प्रार्थना–पत्र का आशय केवल सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश–9, नियम–13 के प्रार्थना–पत्र से होगा । अन्य किसी प्रार्थना–पत्र के लिए कोई फीस अनुमन्य नहीं होगी ।

जिला शासकीय अधिवक्ता दीवानी, फौजदारी, राजस्व जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आशुलिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है, को आशुलिपिक एव चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए पूर्ववत निर्धारित क्रमशः 2000 / – (रुपये दो हजार मात्र) एवं रु0 1000 / – (रुपये एक हजार मात्र)

की धनराशि तभी अनुमन्य होगी जब जिला शासकीय अधिवक्ता इस आशय का प्रमाण-पत्र देयक के साथ प्रतिमाह प्रस्तुत करेंगे कि अमुक व्यक्ति से उस माह में आवश्यकतानुसार उनके द्वारा आशुलेखन एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिक से सेवायें ली जा रही हैं, ताकि उसी व्यक्ति के नाम से सीधे चैक निर्गत किया जा सके ।

बहस

(1) जिला शासकीय अधिवक्ता को वादों तथा प्रकीर्ण वादों में बहस हेतु ।	रु0 600 / - प्रतिदिन
(2) अपर / सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता / विशेष अधिवक्ता / एमीकसक्यूरी / नामिका वकील (दीवानी / फौजदारी / राजस्व) को वादों तथा प्रकीर्ण वादों में बहस हेतु ।	रु0 550 / - प्रतिदिन
(3) उप जिला शासकीय अधिवक्ता को वादों तथा प्रकीर्ण वादों में बहस हेतु ।	रु0 500 / - प्रतिदिन

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय आय-व्ययक के अनुदान संख्या 04 के लेखा शीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)-04-विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता-00-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 274 NP / वित्त अनुभाग-5 दिनांक 24.8.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(आर0 डी0 पालीवाल)
सचिव ।

संख्या: 246(1) / XXXVI(I) / 2009तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
2- महालेखाकार उत्तराखण्ड, ओबरॉय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून ।
3- समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड ।
4- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून ।
5- आयुक्त कुमायूँ मण्डल / गढ़वाल मण्डल उत्तराखण्ड ।
6- विशेष कार्याधिकारी, मुख्य मंत्री को मा0 मुख्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ ।
7- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
8 वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-5 उत्तराखण्ड सचिवालय ।
9- एन.आई.सी. / विभागीय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बोनाल)
अपर सचिव ।